अपराजिता" वन स्टॉप क्राइसिस मैनजमेंट सेन्टर फॉर वीमेन

स्थापनाः– भारत का पहला वन स्टॉप क्राइसिस मैनजमेंट सेन्टर फॉर वीमेन (अपराजिता) राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में दिनांक 30.08.2013 से महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया गया है। यह केन्द्र 24 घण्टे संचालित है।

उद्देश्य व अवधारणाः– इस केन्द्र की स्थापना की अवधारणा व उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाना है। आवश्यकतानुसार उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के समन्वित प्रयास से हिंसा अथवा उत्पीडन की शिकार महिला को एक ही स्थान पर चिकित्सकीय, पुलिस, विधिक, परामर्श सेवाएं एकल खिडकी के माध्यम से प्रदान करना है तथा पीड़ित महिलाओं को समय पर राहत एवं न्याय सुलभ करवाना है। केन्द्र पर समस्त सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है।

केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाएंः–

- चिकित्सा सहायता
- पुलिस सहायता
- विधिक सहायता
- परामर्श सुविधाएं
- अस्थाई आवास

केन्द्र का पताः–

अपराजिता
वन स्टॉप क्राइसिस मैनजमेंट सेन्टर फॉर वीमेन
राजकीय जयपुरिया अस्पताल
जे.एल.एन.मार्ग,जयपुर

केन्द्र के सम्पर्क नं. 0141–2553763,2553764

ई–मेलः aparajitaweraj@gmail.com

श्रीमती वसुंधरा राजे
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

श्रीमती अनिता भदेल
महिला एवं बाल विकास
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

अपराजिता

One Stop Crisis Management Centre for Women

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता द्वारा संचालित

उत्पीड़ित महिलाओं के लिए
सहयोग भी, सम्मान भी

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, भारत सरकार

नये समाज की ओर
Towards a new dawn

परिचय

हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिला को अविलम्ब चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में One Stop Crisis Management Centre for Women (OSCMCW) आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है जिसे केन्द्र सरकार के तत्वावधान में प्रारम्भ किया गया था।

एकल खिड़की के रूप में इस केन्द्र की स्थापना राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर में की गई है। 24 घण्टे कार्यरत यह भारत का पहला इस तरह का केन्द्र है।

उद्देश्य

इस केन्द्र का उद्देश्य उत्पीड़ित महिला को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाना है:-

- चिकित्सकीय सहायता
- कानून संबंधी सहायता
- पुलिस सहायता
- परामर्श सुविधाएं

क्रियान्वयन

केन्द्र का संचालन आयुक्तालय, महिला अधिकारिता के तत्वावधान में विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन एवं राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के परसपर सहयोग एवं समन्वय से किया जा रहा है।

पीड़ित महिला के सीधे ही केन्द्र पर आने अथवा उसे किसी अन्य माध्यम जैसे अस्पताल की आपातकालीन इकाई द्वारा, पुलिस स्टेशन, स्वयं सेवी संस्था, मीडिया, महिला आयोग द्वारा इस केन्द्र पर रैफर किया जाने पर पीड़ित महिला को अविलम्ब उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। पीड़िता के केन्द्र पर आ जाने के पश्चात् केन्द्र की समस्त सुविधाएं उसे उपलब्ध होगी।

सुविधाएं

यह केन्द्र 24 घण्टे संचालित है। पुलिस कर्मी, चिकित्साकर्मी एवं परामर्शदाता पारी के अनुसार 24 घण्टे उपलब्ध है। पीड़िता को आवश्यक होने पर पैरा लीगल सेवाएं प्रातः 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक उपलब्ध है। अधिवक्ता की कानूनी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाने की व्यवस्था है। पीड़िता के लिये भर्ती अवधि में भोजन आदि की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध है।

पीड़ित महिला को आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न आश्रय गृहों के माध्यम से अस्थाई आश्रय की सुविधा भी उपलब्ध है।

स्टाफ

पुलिस विभाग से 2 सब इंस्पेक्टर तथा 2 कॉन्सटेबल पारी के रूप में कार्यरत है जो 24 घन्टे केन्द्र पर तैनात रहते है। जयपुरिया अस्पताल के ऑन कॉल चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ उपलब्ध रहते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता पैनल एवं पैरा लीगल वोलिन्टियर उपलब्ध करवाये जाते है। गैर-सरकारी संस्थान की ओर से परामर्श सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 4 परामर्शदाता पारी के अनुसार 24 घन्टे केन्द्र पर उपस्थित रहती है। केन्द्र की सुरक्षा हेतु 3 सिक्योरिटी गार्ड पारी के रूप में उपस्थित रहते है।

मोनिटरिंग

केन्द्र की कार्यव्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाता है। राज्य स्तर पर अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में समय-समय पर समीक्षा बैठको का आयोजन किया जाता है। केन्द्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अथवा कोई सुझाव देने हेतु आयुक्त, महिला अधिकारिता से सम्पर्क किया जा सकता है।

अपराजिता

हेल्पलाईन नं. - 0141-2553763 / 64

हिंसा अथवा उत्पीड़न की शिकार महिला निम्न पते पर सम्पर्क कर सकती है

One Stop Crisis Management Centre for Women
(OSCMCW)

राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन नं. 0141-2553763, 2553764

ई-मेलः aparajitaweraj@gmail.com

संचालित

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता

(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)

जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं. 0141-5196322, 5196358, ई-मेल : srcw.weraj@gmail.com